ऑन लाईन नं. GCMS 2023/290

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 127 / 2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

1. श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम — (विक्रेता व मालिक)—
   मै.— बिश्नोई डेयरी, 20 नेहरानगर, आन्नद विहार गेट के सामने, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 02.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कंमांक आयुक्ता० / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमाक—आयुक्ता० / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.07.2023 को समय 09:15 एएम बजे **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम (विक्रेता व मालिक) मैसर्स बिश्नोई डेयरी, 20, नेहरानगर आन्नद विहार गेट के सामने श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर विक्रेता **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे Milk के बारे मे जानकारी चाही इस पर स्वंय को मालिक बताया व संस्थान में फ्रीज के अन्दर केन में रखे लगभग 20 लीटर Cow Milk को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से Cow Milk नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये।फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Cow Milk 2 लीटर विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा Cow Milk का नगद भुगतान 100 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम**

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

क्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Cow Milk** 2 लीटर को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1885** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं **के–1885** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम (विक्रेता व मालिक)**एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1085/Act/2023/1085 Dated 31.07.2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1885 Substandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम (विक्रेता व मालिक)** को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जाचं का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम (विक्रेता व मालिक) मैसर्स बिश्नोई डेयरी, 20, नेहरानगर आन्नद विहार गेट के सामने श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **Cow Milk** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.11.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि परिवाद की मद सं1 जिस प्रकार से वर्णित की गई है। स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी को किसी भी प्रकार का आदेश ना तो दिखाया

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

...ही कोई भी जानकारी दी गई। परिवाद की मद सं2 जिस प्रकार से वर्णित की गई है। ...कार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा दूध का वितरण सुबह 08 बजे तक कर दिया जाता है। उसके ... अप्रार्थी की डेयरी पर दूध नहीं बचता है। परिवादी द्वारा दिनांक 20.07.2023 को समय 09.15 एएम बजे अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण किया गया था, उस समय अप्रार्थी द्वारा आवारा कुत्तों के पिल्लों को पिलाने के लिए दूध रखा हुआ था, जिसमें कुछ पानी मिलाया गया था, उसमें से परिवादी द्वारा सैंपल लिया गया था। अप्रार्थी गांवों से दूध क्रय करके लाता है व अपने इलाके के घरों से जो लोग पशु रखते हैं और उसी स्थिति में दूध विक्रय कर देता है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की दूध में मिलावट नहीं की जाती और न ही परिवादी द्वारा फार्म नं. 5ए भरकर अप्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाए गए, बल्कि परिवादी द्वारा खाली कागजों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाए गए थे तथा अप्रार्थी की डेयरी पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे। परिवाद की मद सं. 3 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त दूध विक्रय के लिए नहीं रखा था तथा ना ही परिवादी द्वारा उक्त दूध अप्रार्थी से खरीदा किया गया था, बल्कि कुत्तों के पिल्लों के लिए रखे गए दूध में से सैम्पल लिया गया था। परिवाद की मद सं4 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, परिवादी द्वारा अप्रार्थी को फार्म नं. 5ए न तो पढ़कर सुनाया गया और ना ही उस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवाद की मद सं0 5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा मौके पर कोई भी नमुना नहीं लिया गया था। परिवाद की मद सं0 6 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी फर्द परिवादी द्वारा अप्रार्थी को पढ़कर नहीं सुनाई गई थी। परिवाद की मद सं0 7 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। परिवाद की मद संख्या 8 गलत होने स्वीकार नहीं है। यह है कि परिवादी की मद सं9 गलत होने से अस्वीकार है। व परिवाद के समस्त तथ्य अस्वीकार है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद खारिज फरमाया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Cow Milk** का सैम्पल **K-2112** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./1085/Act/2023/1085 Dated 31.07.2023 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाव के कथनों को ही दोहराते हुए परिवाद को खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Cow Milk** bearing code No. K-1885 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as it dos not conform to the** prescribed Standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहवराम (विक्रेता व मालिक) मैसर्स विश्नोई डेयरी, 20, नेहरानगर आन्नद विहार गेट के सामने श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

न्तर्गत अभियुक्त **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम** (विक्रेता व मालिक) **मैसर्स बिश्नोई डेयरी, 0. नेहरानगर आन्नद विहार गेट के सामने श्रीगंगानगर,** जिला श्रीगंगानगर को राशि रूपये **2[illegible]000—00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।